पत्र संख्या–11/वि०5–न्याय–09/98 का०–246

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

निरंजन कुमार चौधरी,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 09 जून, 2004

विषय– अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न–वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 154, दिनांक 28.07.2000 के द्वारा निदेशित दिया जा चुका है कि जब तक क्रीमीलेयर को राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा से अलग रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा नये निदेश जारी नहीं किये जाते हैं, तब तक इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश का अनुपालन राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण के संबंध में किया जायेगा।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के पत्रांक–36033/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 09.03.2004 द्वारा आय/सम्पत्ति के निर्धारण को संशोधित करते हुए एक लाख के स्थान पर 2.50 लाख किया गया है, जिसे राज्य में लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–17, दिनांक 06.02.1994 द्वारा प्रचारित कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 36012/12/93–ईस्ट (एस०सी०टी०), दिनांक 08.09.1993 में निहित क्रीमीलेयर संबंधी दिशा–निदेश के अंग्रेजी भाषा का हिन्दी रूपान्तरण लोक हित में आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुलग्नक–यथावत।

विश्वासभाजन,

निरंजन कुमार चौधरी

सरकार के उप सचिव।

No. 36033/3/2004–Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
New Delhi, the 15th March, 2004

To,
The Chief Secretary,
Government of Bihar,
Patna.

Subject— Revision of Income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of this Department's OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated the 9th March, 2004 on the above noted subject for information and necessary action.

Yours faithfully,
K.G. Verma
Deputy Secretary to the Government of India

No. 36033/3/2004-Estt.(Res)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
North Block, New Delhi
Dated 9th March, 2004

OFFICE MEMORANDUM

Subject— Revision of Income criteria to excude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8th September, 1993 which inter alia provides that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or above for a period of three consecutive years fall within the creamy layer and are not entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. It has been decided to raise the income limit from Rs. 1 lakh to Rs. 2.5 lakh for determining the creamy layer amongst the OBCs. Accordingly the following entry is hereby substituted for the existing entry against Category VI in the Schedule to the above referred O.M :

Category	Description of Category	To whom the rule of exclusion will apply
VI	INCOME/WEALTH TEST	Son(s) and daughter(s) of (a) Persons having gross annual income of Rs. 2.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years. (b) Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources or wealth which will bring them within the

Income/wealth criteria mentioned in (a) above.

Explanation :

Income from salaries or agricultural lead shall not be clubbed.

2. The provisions of this Office Memorandum take effect from the 4th February, 2004

3. All the Ministries/Depeartments are requested to bring the contents of this Office Memorandum to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele : 23092797

To

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, New Delhi.
5. Railway Board.
6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/ Prime Minister's Office/Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
9. National Commission for SCs and STs, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
10. National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.
11. Office of the Comptroller and Auditor Ceneral of India, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002.
12. Information and Facilitation Centre, DOPT, North Block, New Delhi (100 copies)
13. Spare Copies–400

संख्या–36033/3/2004–स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 2004

कार्यालय–ज्ञापन

विषय– अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्थापना (अनु०जा०) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपए अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

Mahendra Prasad
P.S. to Chairperson
महेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष के निजी सचिव

त्रिकूट–1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110 066
National Commission for Backward Classes
Ministry of Social Justice & Empowerment
Government of India
Trikoot -I, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

दिनांक 05. 03. 2004

सेवा में,

श्री निरंजन कुमार चौधरी
सरकार के उप सचिव
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

महाशय,

निदेशानुसार आप अपने पत्रांक–11/वि० 2–पि०व०अ०–04/2002 का०–53, दिनांक 31 जनयरी, 2004 का अवलोकन करें जिसमें क्रीमीलेयर संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–36012/22/93–ईस्ट (एस०सी०टी०), दिनांक 08.09.1993 की हिन्दी प्रति की माँग की गई है, जिसको संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाते हैं।

सधन्यवाद!

विश्वासभाजन
महेन्द्र प्रसाद

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का 08–09–1993 का
का० ज्ञा० सं० 36012/22/93–स्थापना (एस०सी०टी०)

अनुबंध–I–7

विषय– भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछले वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित।

मुझे भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित विभाग के 13 अगस्त, 1990 और 25 सितम्बर, 1991 के कार्यालय ज्ञापन 36012/31/90–स्थापना (एस०सी०टी०) को देखने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत का संघ और अन्य के मामले में [रिट याचिका (सिविल) 1990 का संख्यांक 930] उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ

समिति नियुक्त की है जो भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दिए गए आरक्षण के लाभों में से सम्पन्न व्यक्तियों/वर्गों का अपवर्जन के मानदण्ड निर्धारित करेगी।

2. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पैरा (1) में निर्दिष्ट द्वारा विभाग के 13.06.1990 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/31/90– स्थापना (एस०सी०टी०) को एतद्द्वारा संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है–

(क) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% (सत्ताईस प्रतिशत) रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और इन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। आरक्षण लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मानकों पर आधारित खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं उन्हें आरक्षण के 27 प्रतिशत कोटे के रिक्त पदों पर समायोजित नहीं किया जाएगा।

(ग) (i) उपर्युक्त आरक्षण इस कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों पर लागू नहीं होगा। (परिशिष्ट 1 देखें)

(ii) अपवर्जन का नियम कारीगरों अथवा वंशानुगत व्यवसाय में लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। ऐसे व्यवसायों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

(घ) उपर्युक्त आरक्षण के प्रयोजनार्थ अन्य पिछड़े वर्गों के पहले चरण में उन जातियों और समुदायों को शामिल किया जाएगा जो मंडल आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकार की सूचियों, दोनों में शामिल हैं। ऐसी जातियाँ और समुदायों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त आरक्षण तुरंत लागू होगा किन्तु यह आरक्षण उन रिक्त पदों के लिए लागू नहीं होगा जिनके लिए भर्ती की प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने से पहले शुरू की जा चुकी है।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, के संबंध में समान अनुदेश क्रमशः लोग उद्यम विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे, जो इस कार्यालय ज्ञापन की तारीख से लागू होंगे।

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि :

1. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली
2. वित्त मंत्रालय (बैंकिंग और बीमा प्रभाग), नई दिल्ली

अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा निगमों के लिए जारी किए जाएं।

परिशिष्ट–1

आरक्षण से अपवर्जित व्यक्ति/वर्ग

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का तारीख 08.09.1993 का कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/22/93–स्थापना (एस०सी०टी०)

	श्रेणी संबंधी विवरण	अपवर्जन का नियम जिनपर लागू होगा
I	संवैधानिक पद	निम्नलिखित के पुत्र और पुत्री (पुत्रियों) पर– (क) भारत का राष्ट्रपति; (ख) भारत का उप–राष्ट्रपति; (ग) उच्चतम न्ययालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों; (घ) संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का महालेखा नियंत्रक; (ङ) इस तरह के संवैधानिक पद धारित व्यक्तियों।
II	सेवा श्रेणी (क) केन्द्र और राज्य की अखिल भारतीय सेवाओं (सीधी भर्ती) के ग्रुप 'ए'/क्लास 1 के अधिकारी	निम्नलिखित के पुत्र और पुत्री (पुत्रियों) पर– (क) माता–पिता दोनों क्लास I अधिकारी हों; (ख) माता–पिता में से एक क्लास I अधिकारी हो; (ग) माता–पिता दोनों क्लास I अधिकारी हों किन्तु उनमें से एक की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा वह स्थायी रूप से विकलांग हो; (घ) माता–पिता में से एक क्लास I अधिकारी हो और उसकी विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा वह स्थायी रूप से विकलांग हो और मृत्यु से पहले अथवा विकलांगता से पहले कम–से–कम 5 वर्ष तक किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे–यू एन, आई एम एफ, विश्व बैंक आदि में नौकरी की हो; (ङ) माता–पिता, दोनों क्लास I अधिकारी हों और विकलांगता के कारण दोनों की मृत्यु हो गई अथवा स्थायी रूप से विकलांग हों, दोनों में से एक में कम–से–कम 5 वर्ष तक किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यू एन, आई एम एफ, विश्व बैंक आदि में नौकरी की हो; किन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा– (क) ऐसे माता–पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जो दोनों या दोनों में से एक क्लास I अधिकारी हों और ऐसे माता–पिता की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारी

जैसे–यू एन, आई एम एफ, विश्व बैंक आदि में नौकरी की हो,

इस श्रेणी में उपर्युक्त क और ख में उल्लिखित मानदंड अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, संगठनों, विश्वविद्यालयों में समकक्ष अथवा समतुल्य पदों पर है, और इन संस्थाओं में समकक्ष अथवा समतुल्य आधार पर पदों का मूल्यांकन करने तक प्राइवेट नौकरी में समकक्ष अथवा समतुल्य पदों पर भी लागू होगा। नीचे श्रेणी VI में विनिर्दिष्ट मानदंड इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होंगे।

III. सशस्त्र बल, इसमें परासैन्य बल शामिल हैं

ऐसे अभिभावकों के पुत्र और पुत्री (पुत्रियाँ) जिनमें से एक अथवा दोनों सेना में कर्नल और उनसे ऊपर के रैंक में है और नौसेना तथा वायु सेना और परासैन्य बलों में समकक्ष पदों पर हैं;

परंतु–

(i) यदि सशस्त्र बल के किसी अधिकारी की पत्नी भी सशस्त्र बल में है (अर्थात् विचाराधीन श्रेणी में है) तो उस पर अपवर्जन का नियम तभी लागू होगा जब वह कर्नल के पद पर पहुँचेगी,

(ii) पति और पत्नी की कर्नल रैंक से नीचे की सेवा को एक साथ जोड़ा नहीं जायेगा,

(iii) यदि सशस्त्र बल के किसी अधिकारी की पत्नी सिविल सेवा में है तो ऐसे मामले में अपवर्जन का नियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह मद संख्या II में उल्लिखित श्रेणी में नहीं आ जाती, ऐसे मामलें में उस पर स्वतंत्र रूप से उसमें उल्लिखित मानदंड और शर्तें लागू होंगी।

व्यावसायिक वर्ग और व्यापार तथा उद्योग में कार्यरत वर्ग– चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड अकाउटेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्त और प्रबंधन परामर्शदाता, दंत–चिकित्सक, इंजीनियर, वास्तुविद, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्मी कलाकार और अन्य फिल्मी व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, पेशेवर खिलाड़ी, मीडिया व्यवसायी अथवा इसी तरह के किसी अन्य व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति।

श्रेणी VI में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू होगा।

(ख) केन्द्र और राज्य सेवाओं के ग्रुप बी/क्लास II के अधिकारी (सीधी भर्ती)

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी की महिला ने क्लास I अधिकारी के साथ विवाह किया हो और नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती हो।

निम्नलिखित के पुत्र और पुत्रियों पर:–

(क) माता–पिता दोनों क्लास II अधिकारी हो;

(ख) माता–पिता में से केवल पिता क्लास II अधिकारी हो और 40 वर्ष आयु प्राप्त होने अथवा उससे पहले क्लास I अधिकारी बनने वाला हो;

(ग) माता–पिता दोनों क्लास II अधिकारी हों; किंतु उनमें से एक की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा वह स्थायी रूप से विकलांग हो और मृत्यु से पहले अथवा विकलांगता से पहले कम–से–कम 5 वर्ष तक किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यू एन, आई एम एफ, विश्व बैंक आदि में नौकरी की हो;

(घ) माता–पिता में से पिता क्लास I अधिकारी हो (सीधी भर्ती अथवा 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पदोन्नत) और माता क्लास II अधिकारी हो और पत्नी की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो;

(ङ) माता–पिता में से माता क्लास I अधिकारी हो (सीधी भर्ती अथवा 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पदोन्नत) और पिता क्लास II अधिकारी हो और पति की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो;

किन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा–

(क) ऐसे माता–पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जो दोनों क्लास II अधिकारी हों और उनमें से एक की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो;

निम्नलिखित के पुत्र और पुत्रियाँ पर–

(ख) माता–पिता दोनों क्लास II अधिकारी हों, किन्तु दोनों की विकलांगता के कारण मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से विकलांग हों भले ही उनमें से एक ने मृत्यु से पहले अथवा विकलांगता से पहले कम–से–कम 5 वर्ष तक किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन

(ii) व्यापार, कारोबार और उद्योग में कार्यरत व्यक्ति

श्रेणी VI में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू होगा।

स्पष्टीकरण–

(i) यदि पति किसी व्यवसाय में कार्यरत है और पत्नी क्लास II अथवा उससे निम्नतर ग्रेड की सेवा में है तो केवल पति की आय के आधार पर आय/संपत्ति की जाँच की जायेगी।

(ii) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में है और पति क्लास II अथवा निम्न श्रेणी के पद पर है तो केवल पत्नी की आय के आधार पर आय/संपत्ति मानदंड लागू होगा और उसमें पति की आय शामिल नहीं की जाएगी।

V. संपत्ति के मालिक

क. कृषि जोत–क्षेत्र

ऐसे परिवार के पुत्र और पुत्री (पुत्रियाँ) (पिता, माता और अवयस्क बच्चे) जिनके पास–

(क) कानूनन निर्धारित अधिकतम क्षेत्र के बराबर या 85% से अधिक सिंचित भूमि हो।

(ख) सिंचित और गैर–सिंचित भूमि जो निम्नानुसार हो–

(i) अपवर्जन का नियम वहाँ लागू होगा जहाँ यह पूर्व शर्त्त विद्यमान हो कि सिंचित भूमि (इसका परिकलन गैर सिंचित भूमि को निकाल कर किया जाएगा) के लिए कानूनन निर्धारित अधिकतम सीमा का 40% अथवा उससे अधिक सिंचित क्षेत्र (एक प्रकार की भूमि को समान नाम के अंतर्गत रखकर) हो। यदि यह न्यूनतम 40% तक की पूर्व शर्त विद्यमान है तो गैर–सिंचित भूमि को हिसाब में लिया जायेगा। ऐसा गैर–सिंचित भूमि को हिसाब में लिया जायेगा। ऐसा गैर–सिंचित भूमि का परिवर्तन के लिए लागू फार्मूले के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित करके किया जाएगा। इस प्रकार गैर–सिंचित भूमि से परिकलित सिंचित क्षेत्र को वास्तविक सिंचित क्षेत्र से जोड़ा जाएगा और यदि इस प्रकार जोड़ने के बाद यदि सिंचित भूमि का कुल क्षेत्र सिंचित भूमि की कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा का 85% अथवा उससे अधिक है तो अपवर्जन का नियम लागू होगा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) यदि किसी परिवार की भूमि गैर–सिंचित है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।

ख. बागान	
(i) काफी, चाय, रबड़ आदि	नीचे श्रेणी VI में विनिर्दिष्ट आय/संपत्ति मानदंड लागू होगा।
(ii) आम, सिट्स, सेब आदि के बागान	इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाता है, इसलिए इस श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त क में उल्लिखित मानदंड लागू होगा।
ग. खाली पड़ी भूमि और/अथवा शहरी क्षेत्र में भवन अथवा शहरी व्यवस्था	नीचे श्रेणी VI में उलिलिखित मानदंड लागू होगा
VI आय/संपत्ति की जाँच	स्पष्टीकरण–भवनों का आवासीय, उद्योग अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन और इसी तरह के दो अथवा अधिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाए। पुत्र और पुत्री (पुत्रियाँ) :– (क) जिन व्यक्तियों की कुल वार्षिक आय 1 लाख अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्ष तक संपत्ति अधिनियम में यथानिर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपत्ति हो। (ख) श्रेणी I, II, III और V – क में ऐसे व्यक्ति, जिन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया गया है किंतु उन्हें संपत्ति के अन्य स्रोतों से आय होती है, जिससे वे उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/संपत्ति मानदंड में आ जाएंगे। स्पष्टीकरण (i) वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को मिलाया नहीं जाएगा; (ii) रुपये के रूप में आय के मानदंड में प्रत्येक तीन वर्षों में रुपए के मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाएगा किंतु यदि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित होगा तो व्यवस्था क्रम–भंग को कम किया जाएगा। स्पष्टीकरण:– इस अनुसूची में जहाँ कहीं "स्थायी रूप से अक्षमता अभिव्यक्ति आई है, उसका अभिप्राय यह होगा कि इस अक्षमता के फलस्वरूप अधिकारी सेवा में नहीं है।